सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-572/2023/3242/22-2-2023-17(800)/2023
लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्दीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामौतार उर्फ झुण्डा (बन्दी संख्या-25327) पुत्र श्री भूकन, निवासी आर्थल, थाना-धनारी, जनपद-बदायूँ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-514, 515/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, बदायूँ के आदेश दिनांक 20.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-23-08-2022 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, की उम्र 62 वर्ष होने, संतोषजनक जेल आचरण, दिनांक 29.05.2023 तक 13 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 08 माह, 07 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बन्दी की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-572/2023/3242(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
3- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को अवमाना वाद (सिविल) सं0-963/2023 रामौतार उर्फ झुण्डा व अन्य बनाम संजय प्रसाद व अन्य के संदर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in